

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

मालखान १/२ निर्दिष्टन वसीर

21/5/25

पत्रावली पेश हुई। कार्रमा उमयपक्ष उफण कार्रमा
वादी ने नम्बर ५० आदेश २३ दिनांक 1(1) पर पेश
किया जो शांति कि है। कार्रमा फारियादी ने कोई
व्यतराप नही किया। ५० पत्र का अवलोकन
किया गया। इसके उक्त वाद पत्र प्राथमिक
डिक्टी राखीगता के आधार के पर किया गया
है नव खदरा नं ५२०/११५/२००६ को
राखीगता के सम्बन्धित नही किया गया है।
नम्बर उक्त खदरा नम्बर का पाला की दाय
गम्बरी से आता है। कतः प्राथमिक पत्र प्राथी
कीकार किया पाला है। नम्बर ५० नं ५२०/११५/२००६
को इत दिये से हटाया पाला है। पत्रावली
वदिते कार्रमा कार्यवाही दिनांक 26/5/25
को पेश हो।

Shank
सहायक क्लर्क
उच्चै (भरतपुर)

26/5/25

पत्रावली पेश हुई। कार्रमा उमयपक्ष उफण कार्रमा
उमयपक्ष के उरा पुकरा को मुताबिक विभाजन
प्रदत्त डिक्टी किने पानि का रिबिडन किया है।
उमयपक्ष के कार्रमावलागण की बहस हुनी
गई। पत्रावली वदिते आदेश दिनांक 28/5/25
को पेश हो।

Shank
उपपण्ड अधिकारी
उच्चै (भरतपुर)

28/5/25

पत्रावली पेश हुई। कार्रमा उमयपक्ष उफण वाद
पत्र वादी मुताबिक कुडे रिपेई डिक्टी किया
पाला है। विद्वत निर्णय पुकार से निरवाया
पाकर शांति कि है। पर्या डिक्टी जारी हो। फाण
किसल मुता ही नम्बर से पाला होकर
वाद पाला दारिज उफतर हो।

Shank
सहायक क्लर्क
उच्चै (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

वाद क्रमांक:- 64/2016

1. मलखान सिंह पुत्र तेजा जाति जाट निवासी नगला कल्याण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
..... वादी

वनाम

1. निरंजन सिंह पुत्र खूवीराम (मृतक)
1/1. वैजन्ती देवी पत्नी निरंजन सिंह
1/2. सुभाष
1/3. हरिरामसिंह
1/4. मनोहरसिंह
1/5. अनीता पुत्री निरंजन सिंह पत्नी मुकेश निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी मडौली तहसील किरावली जिला आगरा
1/6. गोवर्धन सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा
2. दीवानसिंह पुत्र खूवीराम जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा
3. मखनसिंह पुत्र तेजसिंह (मृतक)
3/1. श्यामवती पत्नी मखनसिंह
3/2. रामवीर सिंह
3/3. चन्द्रमान सिंह
3/4. जगमोहन
4. लाखनसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जाट निवासी नगला कल्याण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
5. वर्षा देवी भंवरसिंह जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा
6. बहादुरसिंह पुत्र भंवरसिंह (मृतक)
6/1. भगवानदेवी पत्नी बहादुरसिंह
6/2. रतीराम
6/3. पवनकुमार
6/4. प्रेमसिंह
6/5. कमलेश देवी पुत्री बहादुरसिंह पत्नी नीरज कुमार जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी B-2/319 शास्त्रीपुरम तहसील सदर आगरा

Shanti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

7. तोताराम पुत्र भंवरसिंह जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा
8. केवलसिंह
9. दिगम्बरसिंह | पिसरान राजेन्द्रसिंह समस्त जातियान जाट निवासी नगला खाडिया
10. अर्जुनसिंह | (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा
11. चन्द्रवीरसिंह
12. लक्ष्मीदेवी पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी घनश्याम जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नागर तहसील किरावली जिला आगरा
13. इन्द्रवती पुत्री खूबी पत्नी प्रतापसिंह | जातियान जाट निवासी नगला खाडिया हाल
14. फूलवती पुत्री खूबी पत्नी बच्चूसिंह | निवासी उन्देरा तहसील किरावली जिला आगरा
..... असल प्रतिवादीगण
15. प्रबन्धक महोदय पी.एन.बी. उच्चैन जिला भरतपुर
16. राजस्थान सरकार तामील जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील रूपवास जिला भरतपुर
..... फोरमल प्रतिवादी
17. कमलेश पुत्री लाखनसिंह जाति जाट निवासी नगलाकल्याण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
..... असल प्रतिवादी
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.

उपरिस्थिति

1. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट वादी
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:-28.05.2025

प्रार्थी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जाकाश एवं खातेदारी की आराजी ख0 नं0 7/1.19, 8/1.02, 19/1.18, 79/4.06, 396/22/0.19, 412/21/0.14, 3/1.06, 4/1.07, 414/54/1.17, 417/72/8.02, 419/83/0.12, 420/114/2.06 वाके ग्राम नगला कल्याण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर उक्त विवादित आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपने-अपने हिस्से मुताबिक मनबट वंटवारा कई वर्षों पूर्व से ही हो रहा है एवं मनबट के मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काशत कर रहे हैं। वादी ने अपने हिस्से में आई आराजी को अधिक उपजाउ एवं कीमती बना लिया है जिसके कारण प्रतिवादी के मन में बदनियती आ गई है और वादी को मनबट के अनुसार आई जमीन को हडपना चाहते हैं। दिनांक 01.07.2016 को प्रतिवादी एकराय होकर मुझ वादी के मनबट में आई हुई आराजी पर आ गये एवं उक्त आराजी से मुझको बेदखल करने एवं आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुंतकिल करने की धमकी दी। जिसके कारण वादी ने यह वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है।

Shank
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादियों को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 20.07.2019 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 14 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1,3,6 के वारिसान की ओर से इकवाल जवाबदावा पेश किया गया। दिनांक 29.03.2022 को उक्त वाद पत्र को राजीनामा के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया। तहसीलदार उच्चैन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने क उपरांत उभयपक्ष के अभिभाषकों को सुना गया। उभयपक्ष के द्वारा तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के प्रकरण को डिकी किये जाने हेतु सहमत हैं। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तस्दीकशुदा राजीनामा एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुरे रिपोर्ट डिकी किये जाने योग्य है।

—:अतः आदेश है:—

वाद पत्र वादी मुताबिक कुरे रिपोर्ट डिकी किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुरे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाते संधारित करेंगे, भू-राजस्व निर्धारित करेंगे, कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिकी का जुजुरहिगा, पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Anand
भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

वाद क्रमांक:- 64/2016

1. मलखान सिंह पुत्र तेजा जाति जाट निवासी नगला कल्याण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
..... वादी

बनाम

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1. निरंजन सिंह पुत्र खूबीराम (मृतक) | | |
| 1/1. वैजन्ती देवी पत्नी निरंजन सिंह | | समस्त जातियान जाट निवासी
नगला खाडिया (डावली) तहसील
किरावली जिला आगरा |
| 1/2. सुभाष | | |
| 1/3. हरीरामसिंह | पुत्रान निरंजन सिंह | |
| 1/4. मनोहरसिंह | | |
| 1/5. अनीता पुत्री निरंजन सिंह पत्नी मुकेश निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील
किरावली जिला आगरा हाल निवासी मडौली तहसील किरावली जिला आगरा | | |
| 1/6. गोवर्धन सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील
किरावली जिला आगरा | | |
| 2. दीवानसिंह पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली
जिला आगरा | | |
| 3. मक्खनसिंह पुत्र तेजसिंह (मृतक) | | |
| 3/1. श्यामवती पत्नी मक्खनसिंह | | समस्त जातियान जाट निवासी
निवासी नगला कल्याण तहसील
उच्चैन जिला भरतपुर |
| 3/2. रामवीर सिंह | | |
| 3/3. चन्द्रभान सिंह | पुत्रान मक्खनसिंह | |
| 3/4. जगमोहन | | |
| 4. लाखनसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जाट निवासी नगला कल्याण तहसील उच्चैन जिला
भरतपुर | | |
| 5. वर्फी बेवा भंवरसिंह जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला
आगरा | | |
| 6. बहादुरसिंह पुत्र भंवरसिंह (मृतक) | | |
| 6/1. भगवानदेवी पत्नी बहादुरसिंह | | समस्त जातियान जाट निवासी
नगला खाडिया (डावली) तहसील
किरावली जिला आगरा |
| 6/2. रतीराम | | |
| 6/3. पवनकुमार | पुत्रान बहादुरसिंह | |
| 6/4. प्रेमसिंह | | |
| 6/5. कमलेश देवी पुत्री बहादुरसिंह पत्नी नीरज कुमार जाति जाट निवासी नगला खाडिया
(डावली) तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी B-2/319 शास्त्रीपुरम तहसील
सदर आगरा | | |

Shant
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

7. तोताराम पुत्र भंवरसिंह जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा

8. केवलसिंह

9. दिगम्बरसिंह

10. अर्जुनसिंह

11. चन्द्रवीरसिंह

पिसरान राजेन्द्रसिंह समस्त जातियान जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा

12. लक्ष्मीदेवी पुत्री राजेन्द्रसिंह पत्नी घनश्याम जाति जाट निवासी नगला खाडिया (डावली) तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नागर तहसील किरावली जिला आगरा

13. इन्द्रवती पुत्री खूबी पत्नी प्रतापसिंह

जातियान जाट निवासी नगला खाडिया हाल

14. फूलवती पुत्री खूबी पत्नी बच्चूसिंह

निवासी उन्देरा तहसील किरावली जिला आगरा

..... असल प्रतिवादीगण

15. प्रबन्धक महोदय पी.एन.बी. उच्चैन जिला भरतपुर

16. राजस्थान सरकार तामील जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील रूपवास जिला भरतपुर

..... फोरमल प्रतिवादी

17. कमलेश पुत्री लाखनसिंह जाति जाट निवासी नगलाकल्याण तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

..... असल प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.

Zhan:
सहायक कलेक्टर
उच्चैन (भरतपुर)